



ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा-846004

अभिषद् की बैठक दिनांक 07.05.2024 का कार्यवृत्त

समय:- 05:00 बजे अपराह्न

स्थान - कुलपति आवासीय कार्यालय का सभाकक्ष।

उपरिस्थिति:-

1. प्रो० संजय कुमार चौधरी, कुलपति	-	अध्यक्ष
2. डॉ० दैद्यनाथ चौधरी	-	सदस्य
3. प्रो० अजय नाथ झा	-	सदस्य
4. प्रो० विजय कुमार यादव	-	सदस्य
5. डॉ० दिलीप कुमार चौधरी	-	सदस्य
6. प्रो० अशोक कुमार मेहता	-	सदस्य
7. डॉ० श्याम चन्द्र गुप्ता, प्रधानाचार्य	-	सदस्य
8. प्रो० शाहिद हसन, विभागाध्यक्ष	-	सदस्य
9. डॉ० नौशाद आलम, विभागाध्यक्ष	-	सदस्य
10. डॉ० अमर कुमार	-	सदस्य
11. श्रीमती मीना कुमारी	-	सदस्य
12. श्री सुजीत पासवान	-	सदस्य
13. डॉ० हरिनारायण सिंह	-	सदस्य
14. डॉ० फैयाज अहमद	-	सदस्य
15. डॉ० अजय कुमार पंडित, कुलसचिव	-	सचिव

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा गणापूर्ति की सूचना कुलसचिव से मांगी गई। कुलसचिव ने सूचित किया कि आज की बैठक के लिए गणापूर्ति पूरी हो चुकी है, इसलिये माननीय अध्यक्ष से अनुरोध है कि बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति दी जाए। कुलपति-सह-अध्यक्ष से अनुमति प्राप्ति उपरान्त कुलसचिव-सह-सचिव सभी आगत सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की। सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा बैठक आयोजन किये जाने के उद्देश्य से सदस्यों को अवगत कराया गया तथा राजभवन पटना के निर्देश के आलोक में आगामी आयोजित होने वाली अधिषद् की सामान्य बैठक (शैक्षणिक) हेतु सदस्यों द्वारा निर्णय लिया जाना है। तत्पश्चात बैठक की विधिवत कार्यवाही प्रारंभ की गई। सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा माननीय सदस्यों से अनुरोध किया गया कि आज की बैठक के कार्यसूची के मद सं० 01 में अंकित तिथि 10.04.2024 के अतिरिक्त दिनांक 06.03.2024 को भी अंकित किया जाय। सदस्यों द्वारा संशोधन की स्वीकृति उपरान्त कार्यसूची में परिवर्तन किया गया एवं मद सं० 01 में दिनांक 06.03.2024 एवं 10.04.2024 अंकित किया गया।

निम्नांकित मदों पर विचार किया जाय:-

मद सं० 1. अधिषद् की गत बैठक दिनांक 06.03.2024 एवं 10.04.2024 के कार्यवृत्तों की सम्पुष्टि पर विचार।

निर्णय:

अभिषद् की बैठक दिनांक 06.03.2024 एवं 10.04.2024 के कार्यवृत्तों को सम्पुष्टि के क्रम में निम्नांकित संशोधन किया गया :- (1) अभिषद् की बैठक दिनांक 06.03.2024 के मद संख्या 2 के निर्णय में अंकित संतोष व्यवहृत के स्थान पर अनुमोदित अंकित कर पढा जाय, (2) अन्यान्य मद संख्या 2 में दीक्षान्त समारोह 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर, 2024 के मध्य में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही दीक्षान्त समारोह आयोजन से संबंधित पत्र राज्यपाल सचिवालय, राजमवन, पटना को प्रेषित किए जाने के उपरान्त इराकी सूचना परीक्षा नियंत्रक को प्रदान कर आयोजन की तैयारी निर्धारित अवधि में किये जाने का निर्देश दिया गया। (3) अन्यान्य मद संख्या 8 के निर्णय में गठित समिति की अधिरूचना अविलम्ब निर्गत किए जाने हेतु कुलसचिव को निर्देश दिया गया साथ ही सभी गठित समिति में नामित सदस्यों को बैठक में अनिवार्य रूप बैठक में सम्मिलित होने का निर्देश दिया गया। (4) अन्यान्य मद संख्या 11 के निर्णय में नामित सदस्यों के क्रम संख्या 4 में अंकित "प्रतिनिधि" को विलोपित कर "महासचिव या अध्यक्ष" को अंकित किया गया एवं (5) अन्यान्य मद संख्या 12 में गठित समिति की बैठक अविलम्ब कराये जाने हेतु अध्यक्ष, छात्र कल्याण को निर्देश दिया गया।

उपरोक्त संशोधनोपरान्त सर्वसम्मति से दिनांक 06.03.2024 एवं 10.04.2024 के कार्यवृत्तों को सम्पुष्टि किया गया।

- मद सं0 2. अभिषद् की गत बैठक दिनांक 10.04.2024 के अनुपालन-प्रतिवेदन पर विचार।
निर्णय: अभिषद् की बैठक दिनांक 10.04.2024 के अनुपालन-प्रतिवेदन को अनुमोदित किया गया।
- मद सं0 3. अधिषद् की प्रस्तावित बैठक दिनांक 20.06.2024 के संबंध में अनुमति पत्र प्राप्त होने हेतु माननीय कुलाधिपति कार्यालय को स्मार-पत्र भेजने पर विचार।
निर्णय: अधिषद् की प्रस्तावित बैठक दिनांक 20.04.2024 को निर्धारित मांग सभी तैयारी किये जाने की सहमति बनी तथा माननीय कुलाधिपति महोदय कार्यालय, राजमवन पटना को प्रेषित पत्र में तिथि की समाप्ति से सप्ताह पूर्व स्मार-पत्र भेजने का निर्णय लिया गया।
- मद सं0 4. अधिषद् की प्रस्तावित बैठक दिनांक 20.06.2024 के संबंध में माननीय अधिषद् सदस्यों को प्रारम्भिक कार्यसूची एवं कार्यक्रम भेजने पर विचार।
निर्णय: अधिषद् की प्रस्तावित बैठक दिनांक 20.06.2024 मानकर अधिषद् सदस्यों को प्रारम्भिक कार्यसूची एवं कार्यक्रम को अधिषद् संचालन नियमावली में वर्णित प्रावधान के अनुरूप भेजने की सहमति दी गई साथ ही माननीय राज्यपाल सचिवालय, राजमवन, पटना द्वारा बैठक की तिथि निर्धारण होने के अनुरूप अंकित तिथि में परिवर्तन किये जाने के लिए माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।
- मद सं0 5. अभिषद् की बैठक दिनांक 06.03.2024 को अन्यान्य मद संख्या 01 के अन्तर्गत स्थगित दो प्रस्तावित महाविद्यालयों को सत्र 2024-27 से नव संबंधन प्रदान करने पर पुनः विचार।
निर्णय: आर0के0 मिश्रा कॉलेज, चन्दौना, दरभंगा तथा विवेक सिंह मेमोरियल डिग्री कॉलेज, खाजेडीह, गधुवनी को राज्य सरकार से संबंधन की रिथति में शैक्षणिक

सत्र 2024-27 से अस्थायी सम्बन्धन दिये जाने की सहमति इस शर्तों के साथ दिया गया कि कॉलेजों द्वारा राशी निर्धारित कमी को 30 दिनों के अंदर पूरी कर ली जाए। साथ ही निर्णय लिया गया कि भविष्य में कॉलेजों को यदि निरीक्षण के क्रम में मानक अनुरूप यदि नहीं पाया जाएगा तो संबंधन वापस कर लिया जाए।

मद सं० 6. लूटन झा महाविद्यालय, ननौर, गधुवनी के दान-दाता घोषित करने के संबंध में विचार।

निर्णय: सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अतिरिक्त मद सं०: 1. डॉ० धनश्याम राय, एसोसिएट प्रोफेसर, विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर राजनीतिशास्त्र विभाग, ल०ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को अभिषद् द्वारा स्वीकृत तीन वर्षों के ग्रहणाधिकार का शेष अवधि 22.03.2024 से 18.08.2024 तक समाप्त करने हेतु अभिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णय: डॉ० धनश्याम राय, एसोसिएट प्रोफेसर, विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर राजनीतिशास्त्र विभाग, ल०ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को अभिषद् द्वारा स्वीकृत तीन वर्षों के ग्रहणाधिकार-सह-असाधारण अवैतनिक अवकाश का शेष अवधि 22.03.2024 से 18.08.2024 तक समाप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

अतिरिक्त मद सं०: 2. श्री दिवाकर कुमार सिंह, सहायक प्राचार्य, इतिहास विभाग, सी०एम० कॉलेज, दरभंगा को सहायक प्राचार्य के पद पर मैत्रेयी महाविद्यालय (दिल्ली विश्वविद्यालय) में योगदान हेतु विरमन की तिथि 11.03.2024 के अपराहन से दो वर्षों का स्वीकृत ग्रहणाधिकार की घटनोत्तर स्वीकृति हेतु अभिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णय: सर्वसम्मति से घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

अतिरिक्त मद सं०: 3. डॉ० रीना कुमारी, सहायक प्राचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, सी०एम० कॉलेज, दरभंगा को सहायक प्राचार्य के पद पर इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज (उ०प्र०) में योगदान हेतु विरमन की तिथि 06.03.2024 के अपराहन से दो वर्षों का स्वीकृत ग्रहणाधिकार की घटनोत्तर स्वीकृति हेतु अभिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णय: सर्वसम्मति से घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

अतिरिक्त मद सं०: 4. सम्बद्ध महाविद्यालयों में जिनके शासी निकाय का कार्यकाल पूरा हो चुका था, उनके स्थान पर नये गठित शासी निकायों के संबंध में कुलपति द्वारा दिये गए आदेश के घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णय: बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 60 परिनियम के प्रावधानान्तर्गत निम्नलिखित सम्बद्ध महाविद्यालयों जिनके शासी निकाय का कार्यकाल पूर्ण हो चुका था उनके स्थान पर कुलपति के आदेश से गठित नये शासी निकायों की सूची को अधिसूचित मेमो सं० के अनुरूप सर्वसम्मति से घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

Sl. No.	Name of the College	Memo No. & Date
Darbhanga		
1.	Mahatma Gandhi College, Darbhanga	LNMU/IC/13/24 dt. 13.01.2024
2.	Mithala Mahila College, Azamnagar, Darbhanga	LNMU/IC/14/24 dt. 13.01.2024
3.	Bahera College, Bahera, Benipur, Darbhanga	LNMU/IC/43/24 dt. 09.04.2024
Samastipur		
1.	S.M.R.C.K. College, Samastipur	LNMU/IC/31/24 dt. 15.02.2024
2.	R.L.S.R.M.D. College, Shivajnagar, Samastipur	LNMU/IC/46/24 dt. 09.04.2024
3.	Vidhi Mahavidyalay, Samastipur	LNMU/IC/47/24 dt. 09.04.2024
4.	Sant Kabir College, Samastipur	LNMU/IC/50/23 dt. 08.03.2023
Begusarai		
1.	R.K.A. Law College, Begusarai	LNMU/IC/48/24 dt. 18.04.2024

अतिरिक्त मद सं०:5. सागन्ता सिक्यूरिटी सर्विस के अनुबंध रागाप्ति उपरान्त आगे विस्तार पर विचार।

निर्णय: सागन्ता सिक्यूरिटी सर्विस के अनुबंध रागाप्ति 14.03.2024 की सूचना रादन को दी गई। विचारोपरान्त तत्काल आचार-संहिता को देखते हुए अनुबंध पुराने शर्तों के साथ दिनांक 15.04.2024 से अगले आदेश तक बढ़ाए जाने की घटनोत्तर स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की गई।

अन्यान्य मद सं०: 1. डॉ० वैद्यनाथ चौधरी ने प्रस्ताव किया कि शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की प्रोन्नति पर विचार किया जाय।

निर्णय: विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रोन्नति नियमानुकूल निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ही संपादित किया जाय। तत्संबंधित पूर्व अधिसूचित समिति में दो सदस्य नामित किए गये:-

1. डॉ० हरि नारायण सिंह - सदस्य
2. श्री सुजीत पासवान - सदस्य

अन्यान्य मद सं०: 2. नैक मूल्यांकन के समय के विभिन्न ब्यवसाय भुगतान किये जाने पर विचार।

निर्णय: विचारोपरान्त, विश्वविद्यालय के तीसरे चक्र में नैक मूल्यांकन के समय किए गये व्यय के लम्बित भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु एक समिति गठन करने का निर्णय लिया गया। जिसमें निम्न सदस्य नामित किए गए :-

1. प्रो० शाहिब हसन - सदस्य
2. डॉ० अमर कुमार - सदस्य
3. श्री सुजीत पासवान - सदस्य
4. कुलसचिव - संयोजक

अन्यान्य मद सं०: 3. स्नातकोत्तर विभागों एवं विभिन्न महाविद्यालयों के परीक्षा कार्य से संबंधित व्यय भुगतान अविलम्ब करने पर विचार।

निर्णय: विचारोपरान्त, स्नातकोत्तर विभागों एवं चारों जिला के महाविद्यालयों के परीक्षा कार्य से संबंधित लम्बित भुगतान को अविलम्ब किए जाने हेतु तीन सदस्यों को अधिकृत किया गया जो सिंगल विन्डों से वितीय परामर्शी के साथ इसका निष्पादन करेंगे। जिसमें निम्न सदस्य नामित किए गए :-

1. डॉ० दिलीप कुमार चौधरी - सदस्य
2. परीक्षा नियंत्रक - सदस्य
3. कुलसचिव - सदस्य

अन्यान्य मद सं०: 4. विश्वविद्यालय में सचिकाओं पर अनावश्यक टिप्पणी से होने वाले समस्याओं पर विचार।

निर्णय: विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि सचिकाओं पर डिसक्स सिर्फ कुलपति ही करेंगे। अन्य पदाधिकारी समुचित आपत्ति/क्वेरी ही दर्ज करेंगे जिसके प्रतिउत्तर/साक्ष्य संलग्न कर सचिका का निष्पादन ससमय हो सके।

अन्यान्य मद सं०: 5. अभिषद् की बैठक दिनांक 17.02.2024 के मद संख्या 06 में लिये गये निर्णय के आलोक में ज्ञापांक C/R/3185-93/24 दिनांक 22.02.2024 द्वारा गठित समिति में संशोधन पर विचार।

निर्णय: विचारोपरान्त ज्ञापांक C/R/3185-93/24 दिनांक 22.02.2024 द्वारा गठित समिति में श्री वैद्यनाथ चौधरी का नाम अंकित कर पुनः अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया।

बैठक के अन्त में कुलसचिव द्वारा सभी सदस्यों को बैठक में सम्मिलित होने तथा महत्वपूर्ण सुझाव दिये जाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तदुपरान्त अध्यक्ष की अनुमति से बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

ह०/-

(प्रो० संजय कुमार चौधरी)
कुलपति-सह-अध्यक्ष

ह०/-

(डॉ० अजय कुमार पंडित)
कुलसचिव-सह-सचिव


ज्ञापांक:- UB-770/24

दिनांक:- 07.05.2024

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. अभिषद् के सभी माननीय सदस्य, ल०ना० मिथिलाविश्वविद्यालय, दरभंगा;
2. सचिव, उच्च शिक्षा, विहार, पटना;
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, विहार, पटना;
4. उप-सचिव, राज्यपाल सचिवालय, विहार, पटना;
5. सभी पदाधिकारी, ल०ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
6. नोडल पदाधिकारी (विश्वविद्यालय वेबसाईट), ल०ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
7. कुलपति के सचिव/प्रति-कुलपति/वित्तीय परामर्शी/कुलसचिव के निजी सहायक, ल०ना० मिथिलाविश्वविद्यालय, दरभंगा;

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।


07/05/2024
कुलसचिव